



2026:AHC:27900

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3445/2026

विशाल

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

...विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : हनुमान दीन

विपक्षी के अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता, संतोष कुमार वर्मा

कोर्ट नंबर- 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार वर्मा, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि समय बीतने के साथ-साथ, गवाह ने आवेदक से पीड़िता के साथ उसके विवाह के संबंध में बात की है और आवेदक ने उससे कहा है कि वह उसका पति है और पीड़िता गर्भवती है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक और पीड़िता सहित पीड़िता का परिवार विवाह के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता आवेदक के विरुद्ध मामला वापस लेना चाहता है क्योंकि शिकायतकर्ता की बेटी गर्भवती है और आवेदक, शिकायतकर्ता की बेटी का पति है, ये कथन जमानत आवेदन के साथ संलग्न हलफनामे के अनुच्छेद 19 में भी उल्लिखित हैं। विद्वान अधिवक्ता ने तथाकथित तर्क

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दिया कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर अदालत के समक्ष पूरी निष्ठा से उपस्थित रहेगा तथा अदालत द्वारा उचित समझी जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। इसके बाद आवेदक ने यह भी बताया कि वह 5 दिसंबर 2025 से जेल में बंद है।

3. इसके विपरीत, विद्वान अटॉर्नी जनरल ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि विवाद पूर्व चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

4. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री संतोष कुमार वर्मा ने शिकायतकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का खंडन नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों, साक्ष्यों की प्रकृति और मामले से संबंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। अतः जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

6. आवेदक विशाल, जो मुकदमा अपराध संख्या 0203/2025 में बीएनएस की धारा 137(2), 87, 64(1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5जे(2)/6 के अंतर्गत आरोपित है, पुलिस स्टेशन मेहदावल, जिला संत कबीर नगर, को जमानत पर रिहा किया जाए, ब्याज पर, बशर्ते वह

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो भारी स्थानीय जमानती प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
 - iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।
 - v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।
6. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय को कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने का अधिकार होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

9 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"